संख्या-47/2021/71-2-21-02/2018टी0सी0-1

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- कुलसचिव,किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2- निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, उ0प्र0 लखनऊ।
3- निदेशक,डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
4- निदेशक, सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एवं हास्पिटल्, लखनऊ।
5- निदेशक, सी0बी0एम0आर0, उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 08 अप्रैल, 2021

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में संस्थान/विश्वविद्यालय के कार्मिकों के वेतन एवं गैर वेतन मद के आवश्यक व्ययों के वहन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित संस्थानों/ विश्वविद्यालय को उनके सम्मुख अंकित 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) एवं 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत कुल रू0 15,33,70.36 लाख (पन्द्रह अरब तैतीस करोड़ सत्तर लाख छत्तीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम सं0	संस्थान/ विश्वविद्यालय	लेखाशीर्षक	मद	अवमुक्त धनराशि (रू0 लाख में)
1	एस0जी0पी0जी0आई0, उ0प्र0 लखनऊ।	2210-05-105-03-0309-संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	-31सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	5,46,00.00
			-20सहायता अनुदान रगै) यसामान्-(वेतन	33,33.33
2	डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।	2210-05-105-03-0325- डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ।	-31सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	2,36,25.00
			-20सहायता अनुदान गैर) यसामान्-(वेतन	20,00.00
3	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,लखनऊ।	2210-05-105-03-0366-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश	-31सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	6,46,73.70
			-20सहायता अनुदान गैर) यसामान्-(वेतन	30,00.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4	सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एवं हास्पिटल्, लखनऊ।	2210-05-105-03-0308-कैंसर संस्थान, लखनऊ।	-31सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	8,00.00
			-20सहायता अनुदान गैर) यसामान्-(वेतन	5,00.00
5	सेन्टर आफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ।	2210-05-105-03-0312-सेन्टर आफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ	-31सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	7,10.00
			-20सहायता अनुदान गैर) यसामान्-(वेतन	1,28.33
			योग-	15,33,70.36

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।

3- स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

4- संस्था प्रमुख एवं संबंधित वित्त अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन किया जा चुका है।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।

7- धनराशि को कोषागार से सम्बन्धित संस्थान/चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 द्वारा प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-47/2021/(1)/71-2-21-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. सम्बन्धित वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
6. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in